



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 320(अ).—भारत सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रकाशित किए गए थे, जि ह समय-समय पर संशोधित किया गया। इन नियमों ने देश में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंध के लिए एक नियामक ढांचा उपलब्ध कराया;

और इन नियमों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने और प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथ रण, पुनः चक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के अन्य किसी स्रोत से अथवा मध्यवर्ती सामग्री पुनः अपशिष्ट से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकड़ों के संग्रहण म अपशिष्ट बीनने वालों, पुनः चक्रकों और अपशिष्ट संसाधकों को शामिल किया और अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की दीर्घकालिकता के लिए प्रदूषकों के भुगतान करने का सिद्धांत अपनाने के लिए कीय सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा नियम अर्थात प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 भारत के राजपत्र में सा.का.नि.423(अ), तारीख 25 मई, 2015 के तहत प्रकाशित कराए गए थे जिसम जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं उससे 60 दिन क अवधि समाप्त होने से पूर्व इनसे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध म जनता से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार तारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संर ण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) क धारा 3, 6 और 25 ता द शि य का योग करते ए तथा लाटिक अपशि (बंध और ह तन) नियम, 2011 का अधि मण करते ए, उन बात को छोड़कर जो उ अधि मण से पूव क गई है अथवा जिनका विलोप कया गया है, कीय सरकार एत ता नि लिखित नियम बनाती है, अर्थातः:-

1. **संि नाम और तरंग.-** (1) इन नियम का संि नाम अपशि लाटिक नियम, 2016 है।
(2) इन नियम म उपबंध के सिवाए वे राजप म अपने काशन क तारीख से वृ ह गे।
2. **लागू होना.-**
(1) ये नियम येक अपशि उ पादक, शहरी शानीय निकाय, तम पंचायत विनिमाता और उ पादक को लागू ह गे।
(2) नियम 4 कीय सरकार ता अधिसूचित नियात के आदेश के लिए अपने उ पाद के विनिमाण के लिए निर्यातो मुख इकाइय या विशेष आ थक जोन क इकाइय पर लागू नह होगा: पर तु यह द्वृट गुटका, त बाकू और पान मसाला के पैके जग म लगी इकाइय और कसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी कार के अ य उ पाद पर भी लागू नह होगी।
3. **प रभाषाएं.-** इन नियम म जब तक क संदभ से अ यथा अपेत न हो.-
(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संर ण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभित है;
(ख) " अंड वामी" ऐसे यि या कंपनी से अभित है जो कसी पंजीकृत अंड लेबल के तहत कोई व तु बेचता है।
(ग) "कैरी बैग" से लाटिक सामी या कंपो ट यो य लाटिक सामी से बनाया गया, ले जाने या व तुएं तैयार करने के योजन के लिए युक्त बैग अभित है जिसम वत: ले जाने क विशि टटा है क तु इसम ऐसा बैग समिलित नह है जो ऐसी पैके जग ग ठत करता है या अभि न भाग बनता है जिसम माल को उपयोग के पूव सील कया जाता है;
(घ) "व तु से" ऐसा मूत मद अभित है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसम सभी प य माल या सौदा समिलित है;
(ङ) "कंपो ट यो य लाटिक" से ऐसी लाटिक अभित है जो जैविक य या ता विघटनीय होने के दौरान कावन-डाई-आ साइड, जल, अकाबनिक यौगिक को कंपो ट करती है और अ य त कंपो ट यो य सामीय के साथ जैव भार क सम प दर है और जो दृ य, विशेषणीय या विषा त अपशि ट नह छोड़ती है;
(च) "सहमति" से जल (दूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (दूषण निवारण या नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संब रा य दूषण नियुत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति से थापित करने क सहमति और उसे चलाने क सहमति अभित है;
(छ) "विघटन" से कसी सामी का ब त छोटे भाग म भौतिक प म भंजन अभित है;
(ज) "वि ता रत उ पादक दायि व" से इसके जीवन तक उ पाद के पर्यावरण य प से सुदृढ के लिए उ पादक का दायि व अभित है;
(झ) "खा पदाथ" से व, चूण, ठोस या अथ ठोस प म खाने के लिए तैयार खा पदाथ, फा ट फूड, संस्कृत या पकाए ए खा पदाथ अभित है;
(ज) "सुविधा" से लाटिक अपशि ट के एक ण, भंडारण, पुनः च करण, संस्करण और निपटान के लिए उपयोग कए जाने वाला प रसर अभित है;
(ट) "आयातकता" से ऐसा यि अभित है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाइसेस है, जब तक उसे अ यथा विशेष प से द्वृट नह दी गई हो;
(ठ) "सं थागत अपशि ट जनि " से के ीय सरकारी विभागी, रा य सरकारी विभाग, पलिक या इवेट सैक्टर कंपनियां, अ पताल, कूल, महावि लय, वि ववि लय या शि । के अ य थल, संगठन, अकादमी, होटल, रे तरां, मॉल और शैंपिंग प रसर ता अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवन का अधिभोगी अभित है और समिलित है;

- (इ) "**विनिमाता**" से उ पादक तरा क ची सामी के प म युक्त क जाने वाली लाइटिक क कच्ची सामी के उ पादन म लगा यि या इकाई या अभिकरण अभित है जो समिलित है;
- (ट) "**ब तरीय पैके जग**" के लिए युक्त या युक्त क जाने वाली कोई सामी अभित है और कागज, काज बोड, ब ल य सामीयां, धाविक सतह या ए युमिनियम पि यां जो या तो लेमिनेट के प म या सह-वहिवेर्धन प म जैसे सामी के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटक के प म लाइटिक का कम से एम तर रखती है;
- (ण) "**लाइटिक**" से ऐसी सामी अभित है जिसम पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उ च घन व पोलीथाइलीन, विनाइल, कम घन व पोलीथाइलीन, पोली ऐपीलीन, पोली टाइरीन रेसिन, ए लोनी इलीन बूटाडीन टाइ रन जैसी व सामी, पोली फनाइलीन आ साइड, पोलीकाब नेट, पोलीबूटीलीन टेरे फथालेट जैसी उ च पालिमर के आव यक त व अनत व ट ह;
- (त) "**प्लाइटिक च र**" के लाइटिक च र से अभित है लाइटिक से बनी च र;
- (थ) "**लाइटिक अपशि ट**" से ऐसे कसी लाइटिक से अभित है जिसे उपयोग के प चात या आशयित उपयोग के प चात फक दया जाता है;
- (द) "**विहित अधिकारी**" से नियम 12 म विनि द ट अधिकारी अभित है;
- (ध) "**उ पादक**" से कैरी बैग या ब त तरीय पैके जग या लाइटिक शीट या जैसे के विनिमाण या आयात म लगा यि अभित है और लाइटिक शीट या जैसे या लाइटिक शीट के बनाए गए कवर या व तु क पैके जग या ढकने के लिए ब तरीय पैके जग का उपयोग कर रहे उ गेया यि समिलित है;
- (न) "**पुनः च करण**" नए उ पाद उ पा दत करने के लिए पृथ कृत लाइटिक अपशि ट को नए उ पाद या क ची सामी म पा त रत करने क या से अभित है;
- (प) "**रजि ीकरण**" से यथाधिति, रा य दूषण नियंत्रण बोड या संब दूषण नियंत्रण समिति म रजि ीकृत अभित है;
- (फ) "**पथ वि ता**" का वही अथ होगा जो पथ वि ता (आजीविका का संर ण और पथ वि य का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) क धारा 2 क उपधारा (1) के खंड (1) म है;
- (ब) "**शहरी थानीय निकाय**" से नगर निगम, युनिसिपलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका प रघद जैसे विभि न नाम वाले शहरी थानीय निकाय अभित है और जिसके अंतर्गत अधिसूचित वैत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानून के अधीन ग ठत कोई अ य थानीय निकाय और जहां लाइटिक अपशि ट का बंध ऐसे अभिकरण को स पा गया है, समिलित है;
- (भ) "**अ यु त लाइटिक**" से ऐसी लाइटिक सामी अभित है जिसका पहले उपयोग नह कया गया है या र या अपशि ट के साथ भी समिति नह कया गया है;
- (म) "**अपशि ट जनि**" से येक यि या यि य का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमानप तन, बंदरगाह और र ाक टू मेंट जो अपशि ट लाइटिक पैदा करते ह, सहित रहायसी और वाणियिक थापना अभित है और समिलित है;
- (य) "**अपशि ट बंध**" से लाइटिक अपशि ट का पर्यावरण क दृ से सुरि त प ति से एक ण, भंडारण, प रवहन, पुनः उपयोग, पुनः च ण, पुनः च ण, कंपो टग या यन अभित है;
- (र) "**अपशि ट चुनने वाले**" से पुनः च ण यो य लाइटिक अपशि ट के चुनने म वैचिक प से लगे या अधिकृत कए गए यि या एजेंसियां, यि य का समूह अभित है;

4. शत:-

- (1) कैरी बैग, लाइटिक शीट या इसी कार या लाइटिक शीट या ब तरीय पैके जग के बने आवरण का विनिमाण, आयात, भंडारण, वितरण, वि य और उपयोग के अनु म दौरान नि नलिखित शत पूरी क जाएंगी, अथात :-
- (क) कैरी बैग और लाइटिक पैके जग या तो आकृतिक रंग म ह गे जो कसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उ ह रंजक और रंगक का उपयोग कर बनाए गए ह जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खा पदाथ , भेषजीय

पदाथ और पीने के पानी के संपर्क म आने वाली लाइटिक के उपयोग के लिए रंजक और रंगक क सूची" नामक शीषक से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुरूप ह;

- (ख) पुनःच त लाइटिक से बने कैरी बैग या पुनःच त लाइटिक से बने उ पाद का उपयोग खाने या पीने के लिए तैयार खा सामी का भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैके जग करने के लिए नह कया जाएगा;
- (ग) अ युक्त या पुनःच त लाइटिक के बने कसी कैरी बैग क मोटाई म पचास माइ ओ स से कम नह होगी;
- (घ) लाइटिक शीट या इसी कार, जो व तरीय पैके जग और व तु क पैके जग या लपेटने के लिए युक्त लाइटिक शीट के बने कवर का अभिन भाग नह है, क मोटाई पचास माइ ओ स से कम नह होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी लाइटिक शीट उ पाद के कार्यरण म बाधक हो;
- (ङ) विनिमाता संब रा य दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति से विधिमा य रजि निकरण न रखने वाले उ पादक को क ची सामी के प म युक्त होने वाली लाइटिक को न बेचेगा या न उपल ध कराएगा या न यव था करेगा;
- (च) गुटखा, त बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या वि हेतु लाइटिक सामी यु त सैशे का उपयोग नह कया जाएगा;
- (छ) लाइटिक अपशि ट का पुनःच ण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के लाइटिक के पुनःच ण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनु प होगा;
- (ज) मोटाई का बाधान कंपो ट यो य लाइटिक से बने कैरी बैग पर लागू नह होगा। कंपो ट यो य लाइटिक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोधित कंपो ट यो य लाइटिक के लिए विनिर्देश नामक भारतीय मानक आईएस या आईएसओ 17088:2008 के अनुरूप ह गे। कंपो ट यो य कैरी बैग के विनिमाता या वि ता विपणन या वि करने से पूव के य दूषण नियंत्रण बोड से माण प ा त करेगे;
- (झ) विनायल एसिटेट-मलेइक एसिड-विनायल लोराइड कोपॉलिमर सहित कसी भी कार क लाइटिक सामी का उपयोग कसी पैकेज म सभी कार के गुटका, पान मसाला और त बाकू के पैके जग के लिए नह कया जाएगा।

5. लाइटिक अपशि ट बंध.-

- (१) शहरी थानीय निकाय तरा अपने संब अधिकारता म लाइटिक अपशि ट बंध इस कार होगा :-
- (क) ऐसा लाइटिक अपशि ट जिसे पुनःच त कया जा सकता हो, को रजि निकृत लाइटिक अपशि ट पुनःच को प चाया जाएगा और लाइटिक का पुनःच ण समय-समय पर यथा-संशोधित पुनःच ण के लिए दशा-निर्देश नामक भारतीय मानक : आईएस 14534:1998 के अनुसार कया जाएगा;
- (ख) शहरी थानीय निकाय लाइटिक अपशि ट (धानतः ऐसे लाइटिक अपशि ट का जिसका पुनःच करण नह कया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांग्रेस दशा-निर्देश के अनुसार सड़क निमाण करने या ऊजा पुनः ा त करने या वेस्ट टु ऑयल आ द हेतु करने को तो सहित करगी। इन तो गी कय के लिए निधा रत अधिकरण तरा विनि द ट मानक और दूषण नियंत्रण मानदंड का पालन कया जाएगा।
- (ग) ताप थानीय लाइटिक अपशि ट का संस्करण और ययन के य दूषण नियंत्रण बोड तरा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सि ा त के अनुसार कया जाएगा;
- (घ) लाइटिक अपशि ट के पुनःच ण या संस्करण क सुविधा के अ य का ययन ठोस अपशि ट बंध नियम, 2000 के अनुपालन म या समय-समय पर संशोधन के अनुसार कया जाएगा।

6. थानीय निकाय का दायि व.-

- (१) येक थानीय निकाय वयं या अभिकरण या उ पादक लगाकर लाइटिक अपशि ट के पृथ करण या संग्रहण, भंडारण, प रवहन, संस्करण और ययन क अवसंरचना को विकसित करने और थापना के लिए उ तरदायी होगा;
- (२) थानीय निकाय अपशि ट बंध णाली क थापना, चालन और सम वय के लिए तथा सहयोजित कृ य के निर्वहन के लिए उ तरदायी होगा, अथातः;

- (क) लाइटिक अपशि ट के संग्रहण, भंडारण, पृथ करण, प रवहन, संस्करण और ययन को सुनिः त करना;
- (ख) यह सुनिः त करना क इस या के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
- (ग) पुनःच ण करने वाले लोग के ति पुनःच ण यो य लाइटिक अपशि ट भाग के सरणीकरण को सुनिः त करना;
- (घ) के ओय दूषण नियं ण बोड आ जारी माग निदशक सि अंत के अनुसार लाइटिक अपशि ट के गैर पुनःच ण यो य भाग के संस्करण और ययन को सुनिः त करना;
- (ङ) सभी पणधा रय म उनके उ तरदायि व के लिए जागृति पैदा करना;
- (च) अपशि ट चुनने वाल के साथ काय कर रहे सिविल सोसायटी या समूह को लगाना; और
- (छ) यह सुनिः त करना क लाइटिक अपशि ट को खुले म न जलाया जाए।
- (3) लाइटिक अपशि ट बंध के लिए णाली के गठन के लिए थानीय निकाय उ पादक क सहायता लेगा और इन नियम को भारत के राजप म अंतिम काशन क तारीख से एक वष के भीतर ऐसी णाली का गठन कया जाएगा।
- (4) थानीय निकाय इन नियम के वथान को शामिल करते ए उप-नियम बनाएगा।

7. अम पंचायत का दायि व.-

- (1) येक अम पंचायत वयं या अभिकरण के मा यम से अपने नियंत्रण के अधीन अमीण ऐत्र म अपशि ट बंधन के लिए और सहयोजित कृ य के अनुपालन के लिए थापना, चालन और सम वय करेगा अर्थात्-
- (क) लाइटिक अपशि ट का संग्रहण, भंडारण, पृथ करण, प रवहन और विधिमाय रजि निकाय रखने वाले पुनःच ण करने वाले लोग के ति पुनःच ण यो य लाइटिक अपशि ट का सरणीकरण सुनिः त करना; यह सुनिः त करना क इस या के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
- (ख) सभी पणधा रय म उनके उ तरदायि व के लिए जागृति पैदा करना;
- (ग) यह सुनिः त करना क लाइटिक अपशि ट को खुले म न जलाया जाए।

8. अपशि ट जनक का उ तरदायि व.-

- (1) अपशि ट जनक.-
- (क) समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशि ट बंध नियम, 2000 के अनुसार लाइटिक अपशि ट के जनन को कम करने और तोत पर लाइटिक अपशि ट को पृथक करने के कदम उठाएगा।
- (ख) लाइटिक अपशि ट को न बिखरने देगा और तोत पर अपशि ट का पृथक भंडारण सुनिः त करेगा तथा पृथक अपशि ट को शहरी थावी निकाय या अम पंचायत या उनके आ नियुक्त एजेंसिय या अपशि ट चुनने वाल , रजि निकृत पुनःच ण कता या अपशि ट सं हण अभिकरण को स पेगा;
- (2) लाइटिक अपशि ट के सभी संस्थागत जनक उनके आ जनित अपशि ट का पृथ करण और भंडारण इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 आ अधिसूचित युनिसिपल ठोस अपशि ट (बंधन और ह तन) नियम, 2000 के अनुसार करगे और पृथ कृत अपशि टक को वयं के या अधिकृत अपशि ट अभिकरण के मा यम से अधिकृत अपशि ट संस्करण या ययन सुविधा या निैपण के को स पेगे।
- (3) सभी अपशि ट जनक ऐसी उपयो ता फ स या भार अदा करगे जो अपशि ट संग्रहण या उसक सुविधा के चालन आ द जैसे लाइटिक अपशि ट बंध के लिए थानीय निकाय क उपविधिय म विनि द ट हो;
- (4) खुली जगह म आयोजन क यव था करने वाला येक उ तरदायि यि जिसम लाइटिक या व तरीय पैके जग म खा सामी क सेवा अंतवलित है, ऐसे आयोजन के दौरान जनित अपशि ट का पृथ करण और बंधन इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 आ अधिसूचित युनिसिपल ठोस अपशि ट (बंधन और ह तन) नियम, 2000 के अनुसार करेगा।

9. उ पादक ,आयातकता और अंड वामिय का दायि व.-

- (1) उ पादक इन नियम के काशन क तारीख से छह मास क अवधि के भीतर यह गत या समूहिक प से अपने निजी वितरण चैनल या संबंधीय निकाय के माध्यम से वि ता रत उ पादक दायि व पर आधा रत अपशि ट संग्रहण याली के लिए रा य शहरी विकास विभाग को समिलित करते ए परेखा तैयार करेगा।
- (2) उपयोग म लाए गए ब तरीय लाटिक शैशे या पाउच या पैके जग के संग्रहण का मुख दायि व उन उ पादक , आयातकता और अंड वामिय का होगा जो बाजार म उ पाद को पेश करते ह। उ ह अपने उ पाद के कारण जनित लाटिक अपशि ट को वापस संग्रह करने के याली थापित करने के ज रत है। संग्रह करने के यह योजना थापित करने या चालन या नवीकरण के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय रा य दूषण नियंत्रण बोड को तुत करनी होगी। जिन अंड वामिय क सहमति का नवीकरण इन नियम क अधिसूचना से पहले कर दया गया है वे इन नियम क अधिसूचना क तारीख से एक वष के अंदर उ त योजना तुत कर दगे और उसके दो वष बाद लागू कर दगे।
- (3) पुनःच करण न क जा सकने यो य ब तरीय पैके जग का विनिर्माण एवं उपयोग, य द कोई हो, दो वष म बंद कर दया जाएगा।
- (4) उ पादक राजप म इन नियम के अंतिम काशन क तारीख से तीन मास क अवधि के भीतर रजि ीकरण क मंजूरी के लिए रा य या संबंधीय बोड के शासन के यथार्थति दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।
- (5) कोई उ पादक राजप म इन नियम के अंतिम काशन क तारीख से एक वष क अवधि क समाप्ति पर या इसके प चात संबंधीय दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति से रजि ीकरण के बिना व तु के पैके जग के लिए कसी लाटिक या ब तरीय पैके जग का विनिर्माण या उपयोग नह करेगा।
- (6) येक उ पादक कैरी बैग या लाटिक शीट या इसी कार या लाटिक शीट या ब तरीय पैके जग के बने कवर के विनिर्माण के लिए क ची सामग्री के प म युक्त लाटिक क आपूत म लगे यह के यौर के अभिलेख बनाए रखेगा।

10. कंपो ट यो य लाटिक सामग्री के लिए नयाचार.- लाटिक सामग्री के अवधि मित क डिपी और विघटन क डिपी का निधारण, इन नियम क अनुसूची-1 म सूचीब भारतीय मानक के नयाचार के अनुसार होगा।

11. माका या लेबल लगाना.- (1) येक लाटिक कैरी बैग और ब तरीय पैके जग पर अंग्रेजी म नि नलिखित जानकारी मुक्ति क जाएगी, अर्थात् :-

- (क) कैरी बैग क दशा म विनिर्माणकता का नाम, उसका रजि ीकरण सं या और मोटाई; और
- (ख) ब तरीय पैके जग क दशा म विनिर्माणकता का नाम और उसका रजि ीकरण संख्या।
- (ग) कंपो ट यो य लाटिक से बने कैरी बैग क दशा म नाम और माणप सं. [नियम 4(ज)]।
- (2) येक पुनःच त कैरी बैग पर नि नलिखित प म यथाद शत "पुनःच त" लेबल या चि ह होगा और भारतीय मानक के समय-समय पर यथा संशोधित पुनःच त लाटिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिदश भा.मा.14534:1998 के अनुसार होगा;



ट पण : पैट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उ च डेसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - नि न डेसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोली ०१पिलिन, पीएस पोली टाय रन और अ य से अभित सभी अ य राल और ब सामीयां ह जैसे एबीएस (ए लोनि इल बूटाडिन टाय रन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आ साइड), पीपी (पोलीकाब नेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आ द।

- (3) कंपो ट यो य लाटिक से बने येक कैरी बैग पर कंपो ट यो य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपो ट यो य लाटिक के लिए विनिदश नामक विनिदश भा.मा./भा.मा.स.17088:2008 के अनु प होगा।

12. विहित अधिकारी- (1) कसी संघ रा य ०१ के बाबत रा य दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति रजि ीकरण, लाटिक उ पाद और ब तरीय पैके जग के विनिमाण, अपशि ट लाटिक के संस्करण और ययन से संबंधित इन नियम के उपबंध को वृत्त करने के लिए अधिकारी होगा;

(2) रा य या संघ रा य ०१ के शहरी विभाग का संब भारसाधक सचिव अपशि ट जनक आ अपशि ट बंधन, लाटिक कैरी बैग, लाटिक शीट या इसी कार के लाटिक शीट और ब तरीय पैके जग से बने कवर के उपयाग से संबंधित इन नियम के उपबंध को वृत्त करने के लिए अधिकारी होगा;

(3) संब आम पंचायत रा य सा संघ रा य ०१ के अमीण ०१ म अपशि ट जनक आ अपशि ट बंधन, लाटिक कैरी बैग, लाटिक शीट या इसी कार के लाटिक शीट और ब तरीय पैके जग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियम के उपबंध को वृत्त करने के लिए अधिकारी होगा;

(4) उप-नियम (1) से (3) म नि द ट अधिकारी इन नियम के उपबंध के वर्तन म संब जिले क अधिका रता क रा य ०१ क सीमा के भीतर जिला मजि ०१ या उपायुक्त क सहायता लेगा।

13. उ पादक, पुनःच णकता और विनिमाणकता का रजि ीकरण- (1) कोई यि कैरी बैग या पुनःच त लाटिक बैग और ब तरीय लाटिक का विनिमाण तब तक नह करेगा जब तक क उसने उ पादन के अंभ से पूव यथार्थित रा य दूषण नियंत्रण बोड या संघ रा य ०१ क दूषण नियंत्रण समिति से रजि ीकरण माणप अभि । त न हो गया हो;

(2) येक उ पादनकता रजि ीकरण के लिए या रजि ीकरण के नवीकरण के लिए रा य दूषण नियंत्रण बोड या संघ रा य ०१ क दूषण नियं ण समिति को उपाव प 1 का योग करते ए आवेदन करेगा।

(3) ऐसा कोई यि जो कैरी बैग और ब तरीय लाटिक या लाटिक अपशि ट का पुनःच ण करता है या पुनःच ण करने के लिए ताव करता है, उपाव प 2 का योग करते ए पुनःच ण यूनिट के लिए रजि ीकरण दान करने के लिए या रजि ीकरण का नवीकरण करने के लिए रा य दूषण नियं ण बोड या दूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(4) उ पादक आ क ची सामी के प म युक्त क जाने वाली लाटिक के विनिमाण म लगे येक विनिमाता प 3 म रजि ीकरण क मंजूरी या रजि ीकरण के नवीकरण के लिए रा य दूषण नियंत्रण बोड या संब संघ रा य ०१ क दूषण नियं ण समिति को आवेदन करेगा।

(5) रा य दूषण नियंत्रण बोड और दूषण नियंत्रण समिति विनिमाण या पुनःच ण यूनिट के लिए कोई रजि ीकरण तब तक जारी नह करेगी या उसका नवीकरण नह करेगी जब तक क यूनिट, जल (दूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (दूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमा य सहमति नह रखती हो और जिला उ तोग के या इस संबंध म अधिकृत कसी अ य सरकारी अभिकरण आ जारी रजि ीकरण का माणप न रखती हो।

(6) रा य दूषण नियंत्रण बोड और दूषण नियंत्रण समिति उ पादक के रजि ीकरण का नवीकरण तब नह करेगा जब तक उ पादक लाटिक अपशि ट याली क थापना के लिए संब रा य या संघ रा य ०१ के शहरी विकास के भारसाधक सचिव आ पृष्ठांकित काय योजना न रखता हो।

(7) उपनियम (3) के अंतर्गत लाटिक अपशि ट के पुनःच ण या संस्करण के रजि ीकरण के लिए सभी कार से पूव आवेदन क आ पर रा य दूषण नियंत्रण बोड ऐसी जांच करने के प चात जो वह आव यक समझे और यह समाधान हो जाने पर क आवेदक के पास समुचित सुविधाएं तकनीक यो यताएं और लाटिक अपशि ट से

सुनित प से निपटने के लिए उपकरण ह, ऐसी शत के पूरा होने पर आवेदक को रजि ीकरण मंजूर कर सकेगा जो रजि ीकरण के निवंधन म अभिकथित क जाएँ।

- (8) येक रा य दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति, सभी कार से पूण आवेदन क एफि के न वे दन के भीतर रजि ीकरण दान करने हेतु विनि चय करेगा।
- (9) इस नियम के अधीन अनुद त रजि ीकरण जब तक क वह विखंडित, निलंबित या र नह कर दया जाता है एक वष क अवधि के लिए विधिमा य होगा और बाद म उसे तीन वष तक बढ़ाया जा सकता है।
- (10) रा य दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति, रजि ीकरण को उ पादक या लाटिक अपशि ट के पुनःच ण या संस्करण म लगे ए यि को सुनवाई का अवसर दए बिना विखंडित, निलंबित या र नह करेगी।
- (11) रजि ीकरण के नवीकरण के लिए यक आवेदन, रजि ीकरण माणप क विधिमा यता क समाफि से कम से कम एक सौ बीस दन पूव कया जाएगा।

14. खुदरा विंता और पथ विंता का दायि व.- (1) खुदरा विंता या पथ विंता उपभो ता को ऐसे कैरी बैग या लाटिक शीट या ब तरीय पैके जग म व तु नह बेचेगा या उपल ध कराएगा जो इन नियम के अधीन विहितानुसार विनि मत या लेबल लगे या चिह्नित नह है।

- (2) लाटिक कैरी बैग या ब तरीय पैके जग या लाटिक शीट या इसी कार या ऐसे लाटिक शीट से बने जो इन नियम के अनुसार विनि मत या लेबलित या चिह्नित नह है, म व तुओं को बेचने या उपल ध कराने वाला येक खुदरा विंता या पथ विंता ऐसा जुर्माना देने का दायी होगा जो थानीय निकाय क विधिय म विनि द ट हो।

15. कैरी बैग क क मत सुनित करना.- (1) जो दुकानदार और पथ विंता कसी व तु को वित रत करने के लिए लाटिक के कैरी बैग उपल ध कराना चाहते ह उ ह थानीय निकाय के पास पंजीकरण करना होगा। थानीय निकाय, भारत के राजप म इन नियम के काशित होने क तारीख से छह माह क अवधि के अंदर, चार हजार पये तिमाह क दर से यूनतम अड़तालीस हजार पये का लाटिक बंधन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए अपने रा य के उपयुक्त कानून या उपनियम के तहत अधिसूचना या आदेश के आ वधान करेगा। संबंधित थानीय निकाय उ पादन या वि मता को यान म रखते ए अधिक लाटिक अपशि ट बंधन शुल्क निधा रत कर सकता है। पंजीकृत दुकानदार मुख थान पर द शत करेगा क लाटिक कैरी बैग भुगतान करने पर दए जाते ह।

- (2) व तुओं का वितरण करने के लिए लाटिक कैरी बैग उपल ध कराने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विंता पा ह गे।

(3) शहरी थानीय निकाय कैरी बैग के लिए उपभो ता आ रा संदत रकम का अन यतः उपयोग अपनी अधिका रता के भीतर अपशि ट बंधन णाली क संधार्यता के लिए करेगा।

16. रा य तरीय मॉनीट रग समिति.- (1) रा य सरकार या संघ रा य एवं, इन नियम के या वयन के भावी मॉनीट रग करने के योजन के लिए रा य तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसम नि नलिखित यह गे, अर्थातः :

(क)	सचिव, शहरी विकास विभाग	-	अ य
(ख)	रा य पर्यावरण विभाग से निदेशक	-	सद य
(ग)	रा य दूषण नियंत्रण बोड या दूषण नियंत्रण समिति से सद य सचिव	-	सद य
(घ)	युनिसिपल कमीशनर	-	सद य
(ङ)	थानीय निकाय से एक विशेष		सद य
(च)	गैर सरकारी संगठन से एक विशेष जो अपशि ट बंधन म शामिल हो	-	सद य
(छ)	कमीशनर वैल्यु एडेड टै स या उसका तिनिथि	-	सद य
(ज)	वि कर कमीशनर या अधिकारी	-	सद य
(झ)	लाटिक संघ, ग मैन्युफै चरर एसोसिएशन, केमिकल मैन्युफै चरर	-	सद य

एसोसिएशन का तिनिथि

- | | | |
|-----|--------------------------------|----------|
| (ज) | उ गे त्र से एक विशेष | - सद य |
| (ट) | शि ा संस्था के त्र से एक विशेष | - सद य |
| (ठ) | निदेशक, युनिसिवल शासन | - संयोजक |

रा य तरीय सलाहकार निकाय छह माह म कम से कम एक बार बैठक करेगा और य द वह आव यक समझता है तो विशेष को आमंत्रित कर सकेगा।

- 17. वा षक रपोट-** (1) लाइटिक अपशि ट के पुनःच ण या संस्करण म लगा येक यर्फि प 4 म वा षक रपोट संतैयार करेगा और येक वष के 30 अैल तक संबं रा य दूषण नियंत्रण बोड दूषण नियंत्रण समिति क सूचना के अधीन संबं शहरी थानीय निकाय को तुत करेगा।
- (2) येक शहरी थानीय निकाय येक वष क 30 जून संबं रा य दूषण नियंत्रण बोड दूषण नियंत्रण समिति क सूचना के अधीन शहरी विकास के संबं भारसाधक सचिव को प-5 म वा षक रपोट तैयार करेगा और तुत करेगा।
- (3) येक रा य दूषण नियंत्रण बोड या दूषण समिति, येक वष 31 जुलाई तक इन नियम के या वयन पर प-6 म वा षक रपोट तैयार करेगा और के ीय दूषण नियंत्रण बोड को तुत करेगा।
- (4) के ीय दूषण नियंत्रण बोड, लाइटिक अपशि ट के उपयोग और बंधन पर समे कत एक वा षक रपोट तैयार करेगा और उसको येक वष 31 अग त से पूर्व अपनी सिफा रश के साथ के ीय सरकार को अपेषित करेगा।

अनुसूची-I

(नियम 10 देखें)

1.	भा.मा./भा.मा.स.14851:1999 जलीय मा यम से लाइटिक सामी क अंतिम (अ टीमेट) औं सी जैव विघटनीयता ात करना - बंद रेसपीरोमीटर म औं सीजन क आव यकता मापन ारा प ति
2.	भा.मा./भा.मा.स.14852:1999 जलीय मा यम म लाइटिक सामी क अंतिम (अ टीमेट) औं सी विघटनीयता ात करना - उ प न कार्बन डाइऑ साइड के वि लेपण ारा प ति
3.	भा.मा./भा.मा.स.14853:2005 लाइटिक - जलीय तंत्र म लाइटिक सामी क अंतिम (अ टीमेट) औं सी जैव विघटनीयता ात करना - बायोगैस उ पादन के मापन ारा प ति
4.	भा.मा./भा.मा.स.14855 1:2005 नियंत्रिक संघटक थितिय म लाइटिक सामी क अंतिम (अ टीमेट) औं सी जैव विघटनीयता ात करना - उ प न कार्बन डाइऑ साइड के वि लेपण ारा प ति (भाग-1 सामा य प ति)
5.	भा.मा./भा.मा.स.14855-2:2007 नियंत्रिक संघटक थितिय म लाइटिक सामी क अंतिम (अ टीमेट) औं सी जैव विघटनीयता ात करना - उ प न कार्बन डाइऑ साइड के विश्लेषण ारा प ति (भाग-2; योगशाला- केल परी ण म उ प न कार्बन डाइऑ साइड का भारा मक मापन)
6.	भा.मा./भा.मा.स.15985:2004 लाइटिक - 4उ च ठोसता क अनॉ सी (एनोरोबिक) डाइजेशन थितिय म अंतिम (अ टीमेट) अनॉ सी (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ात करना - निकली बायोगैस क वि लेपण प ति
7.	भा.मा./भा.मा.स.16929:2002 लाइटिक पायलट मापन परी ण म प रभाषित संघटक थितिय म लाइटिक सामी के विघटन का तर ात करना
8.	भा.मा./भा.मा.स.17556:2003 लाइटिक - रेसपीरोमीटर म औं सीजन क आव यकता अथवा उ प न कार्बन डाइऑ साइड के मापन ारा मृदा म अंतिम (अ टीमेट) औं सी जैव विघटनीयता ात करना
9.	भा.मा./भा.मा.स.20200:2004 लाइटिक - योगशाला म अनु पी कंपो टग थितिय म लाइटिक सामिय के विघटन का तर ात करना - केल परी ण

प-I

[नियम 13(2) देखें]

उ पादक या ांड वामिय के रजि ीकरण के लिए आवेदन

‘षक

.....

..... (अधि ठाता का नाम और पूरा पता)
सेवा में,

सद य सचिव,
..... दूषण नियंत्रण बोर्ड/ दूषण नियंत्रण समिति

महोदय,
मैं/हम लाइटिक अपशि ट (बंधन) नियम, 2015 के नियम 9 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता /करते हैं।

I. उ पादक

भाग-क साधारण	
1. (क)	इकाई का नाम और अवधि/ता
(ख)	इकाई का नाम
(ग)	नि नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पंजीकरण : (i) कैरी बैग [(क) पै तो आधा रत, (ख) कंपो ट यो य] (ii) ब तरीय लाइटिक
(घ)	विनिर्माण मता
(ड.)	नवीकरण क दशा म, पूव रजि ीकरण संख्या और रजि ीकरण क तारीख
2.	या इकाई, रा य सरकार/संघ रा य बै शासन म जिला उ तोग के म रजि ीकरण है? य द हां, तो ति संल न करा।
3. (क)	प रयोजना पर निवेशित कुल पूँजी
(ख)	उ पादन आरंभ करने का वप
4. (क)	उ पाद और उप उ पाद क सूची और मा ।
(ख)	युक्त क ची सामी क सूची और मा ।
5.	उ पाद और उ पादत अपशि ट निबंधन म जिसके अधीन केटिव वित्त उ पादन और जल भी है, निवेश और उ पादन को द शत करते ए विनिर्माणकारी या का एक वाहित डाय आ तुत करा।
6.	इन नियम के अनुपालन क अथवि - मोटाई - पचास माइ लोन (हां/नह)
भाग-ख व वहि ाव और गैसीय उ सर्जन से संबंधित	
7.	(क) या इकाई, जल (दूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमा य सहमति रखती है? य द हां, तो ति संल न करा।
	(ख) या इकाई, वायु (दूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमा य सहमति रखती है? य द हां, तो ति संल न करा।
भाग-ग	

अपशि ट से संबंधित		
8.	ठोस अपशि ट : (क) उ पा दत अपशि ट क कुल मा । (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण क प ति (ग) अपशि ट के ययन के लिए कए गए अपबंध	
9.	कैरी बैग अथवा समान कार क लाटिक शीट अथवा ब तरीय पैके जग के विनिर्माण के लिए क ची साम वी के प म युक्त कए जाने के लिए लाटिक क आपूर्ति करने वाले यि य क सूची संल न कर/उपल ध कराएं।	
10.	उन का मक या अंड वामिय क सूची संल न कर/उपल ध कराएं जि ह उ पाद क आपूर्ति क जाएगी	
11.	लाटिक अपशि ट का वापस संग्रहण करने क काय योजना	
नाम और ह ता र पदनाम		
तारीख : थान :		

II अंड वामी

भाग-क सामाय		
1.	नाम, पता और संपक न बर	
2.	नवीकरण क दशा म विद्वला रजि ीकरण न बर और रजि ीकरण क तारीख	
3.	या इकाई रा य सरकार या संघ रा य एवं के जिला उ गे के या डीसीएसआई म रजि ीकृत है? य द हां, तो ति संल न कर।	
4.(क)	प रयोजना म निवेशित कुल पूँजी	
(ख)	उ पादन अंभ करने का वष	
5.(क)	उ पाद और उ पाद क सूची और मा ।	
(ख)	युक्त क ची साम वी क सूची और मा ।	
भाग - ख		
व बहि ाव और गैसीय उ सर्जन से संबंधित		
5.	(क) या इकाई, जल (दूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमा य सहमति रखती है? य द हां, तो ति संल न कर।	
6.	(ख) या इकाई, वायु (दूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमा य सहमति रखती है? य द हां, तो ति संल न कर।	

भाग-ग अपशि ट से संबंधित		
7.	ठोस अपशि ट : (क) उ पा दत अपशि ट क कुल मा । (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण क प ति (ग) अपशि ट के ययन के लिए कए गए अपबंध	

8.	उन का मक या अंड वामिय क सूची संल न कर/उपल ध कराएं जि ह उ पाद क आपूर्ति क जाएगी	
9.	लाटिक अपशि ट का वापस संग्रहण करने क काय योजना	
तारीख :		नाम और ह ता र
थान :		पदनाम

प - II

[नियम 13 (3) देख)]

लाटिक अपशि ट के सं करण एवं पुनच ण म संल न इकाइय के पंजीकरण हेतु आवेदन- प

1.	इकाई का नाम और पता							
2.	संपक व्यर्ति, पदनाम, टेलीफोन/फै स/ई-मेल सहित							
3.	अंभ कए जाने क तारीख							
4.	कमकार क संख्या (संविदा म सहित)							
5.	सहमति विधिमा यता	क. जल (दूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तक विधिमा य ख. वायु (दूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तक विधिमा य ग. आधिकरण ; तक विधिमा य						
6.	विनिर्माण या	कृपया विनिर्माण, या का वाहित डाय आ संलगन कर येक उ पाद के लिए वाहित डाय आ।						
7.	उ पाद और उ पादन क संथित मता (एमटीए)	उ पाद	संथित मता					
8.	अपशि ट बंधन	म सं.	क म	०णी	मा ।			
	क. लाटिक अपशि ट म अपशि ट जनन	(i)						
		(ii)						
		(iii)						
	ख. अपशि ट सं ह और प रवहन (विवरण संलगन कर)							
	ग. अपशि ट निपटान का विवरण	म सं.	क म	०णी	मा ।			
		(i)						
		(ii)						
	घ. निपटान सुविधा का यौरा उपल ध कराएं, या सुविधा एसपीसीबी या पीसीसी आ धिकृत है							
	ड. कृपया जनित अपशि ट के वग करण क वि लेषण रपोट संल न कर (य द लागू हो तो लीचेट परी ण सहित)							
9.	क ची सामी के प म उपयोग के लिए, यथा संथिति, वि , नीलामी, संविदा या आयात के ज रए अ जत होने वाले तावित लाटिक अपशि ट का यौरा	(i) नाम						
10.	यावसायिक सुर ा और वा य संबंधी पहलू	कृपया सुविधा का यौरा द						
11.	दूषण नियंत्रण के उपाय							
	या उ सर्जन या बहिः वाव के मानक को पूरा करने के							

	लिए इकाई के पास पया त दूषण नियंत्रण जालियां या उप कर है।	
	या इकाई उ त नियम म निधा रत शत का अनुपालन करती है।	
	या हथालन अथवा संस्कृत क जारी सामी के पर्यावरण पर पड़ने वाले त काल या विलंब से पड़ने वाले तिकूल भाव के लिए प रथितियां वि मान ह या वि मान होने क संभावना है।	
	या हथालन अथवा संस्कृत क जा रही सामी कसी भी साधन से अ य सामी (अथात् लीचेट) उ प न करने म स म है, उसके लिए प रथितियां वि मान ह (या वि मान होने क संभावना है जिसम विषा तता हो सकती है)	
12.	कोई अ य ासंगिक सूचना, जिसम अ य दुर्घटना शमनकारी उपाय शामिल है	
13.	नियमानुसार संल न क सूची	

नाम और ह ता र

पदनाम

तारीख :

थान :

प-III

[नियम 13(4) देख]

अप र कृत लाटिक विनियमाता के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन प

ेषक

..... (अधि ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सद य सचिव,

..... दूषण नियंत्रण बोड/ दूषण नियंत्रण समिति

महोदय,

मैं/हम लाटिक अपशि ट बंधन नियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करता /करते ह।

भाग-क		
सामाय		
1. (क)	इकाई का नाम और अवधिति	
(ख)	इकाई का पता	
(ग)	नवीकरण के मामले में, पिछली रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण क तारीख	
2.	या यह इकाई रा य सरकार/संघ रा य त्र क डीआईसी/डीसीएसएसआई म रजिस्ट्रीकृत है? यद हो, तो	

	रजिस्ट्रीकरण के तिसरे संलग्न करा।	
3. (क)	पर्योजना पर निवेश के गई कुल पूँजी	
(ख)	उपादन शुरू करने का वष	
(ग)	उपादक के सूची और उपादक को आपूर्ति करने वाले के माल का मात्रा	

नाम और हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :
थाना :

प-IV

(नियम 17(1) देखें)

थानीय निकाय को लाइटिक संकरण या पुनर्ज्ञान सुविधा के चालनकर्ता परा तुत के जाने वाली वाष्पक रपोर्ट का प

रपोर्ट का अवधि :

(1)	सुविधा के चालनकर्ता का नाम और पता	
(2)	सुविधा के भारी अधिकारी का नाम (दूरभाष/फैसला/मोबाइल/ई-मेल)	
(3)	मता :	
(4)	लाइटिक अपशिष्ट के बंधन हेतु युक्त ऐलोगिक क्यां :	
(5)	तुत रपोर्ट के वष के दौरान परा त लाइटिक अपशिष्ट के माल तथा उसका तेत	
(6)	संस्कृत लाइटिक अपशिष्ट के माल (ठन में) : - पुनर्ज्ञान पलाइटिक अपशिष्ट (ठन में) - संस्कृत लाइटिक अपशिष्ट (ठन में) - उपयोग में लाया गया (ठन में)	
(7)	खता थल में अंतिम निपटान हेतु भेजे गए वेकार/अवीकृत अपशिष्ट के माल	
(8)	उस खता सुविधा का यौरा जहां वेकार/अवीकृत अपशिष्ट को अंतिम निपटान हेतु भेजा गया है : - पता - दूरभाष	
(9)	सहमति दान करने या पंजीकरण के दौरान यद्यपि कोई पर्यावरणीय शर्त विनियोग के गई हो तो उसके अनुपालन के लिये अधिकारी के विवरण संलग्न करा।	

चालनकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख :

थाना :

प-V

(नियम 17(2) देखें)

**थानीय निकाय परा तुत के जाने वाली लाइटिक अपशिष्ट बंधन संबंधी
वाष्पक रपोर्ट का प**

रपोर्ट तुत करने के अवधि :

(1)	शहर/नगर और राय का नाम	
(2)	जनसंख्या	
(3)	वग कलोमीटर में	
(4)	थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन सं. फैसल सं. ई-मेल :	
(5)	‘त्राधिकार के अंतर्गत’ में वाड़ के कुल संख्या	
(6)	‘त्राधिकार के अंतर्गत’ में घर के कुल संख्या	
(7)	घर-घर जाकर कए गए एक करने में शामिल घर के संख्या	
(8)	‘त्राधिकार के अंतर्गत’ में वाणियिक संस्था और संस्थान के कुल संख्या - वाणियिक संस्थाएं - संस्थान	
(9)	येक संस्थान/संस्थान में जाकर एक करने के लिए समिलित वाणियिक संस्था और संस्थान के संख्या - वाणियिक संस्थाएं - संस्थान	
(10)	घर-घर जाकर एक घर में शामिल एजेंसिय के यौरे सहित ‘त्राधिकार के अंतर्गत’ में लाइटिक अपशिष्ट के बंधन हेतु तैयार कए गए तंत्र का सारांश	
(11)	‘त्राधिकार के अंतर्गत’ में उपन लाइटिक अपशिष्ट के बंधन हेतु तैयार कर गई अवसंरचना का यौरा संलग्न कर	
(12)	अपेक्षित अवसंरचना, यद कोई हो, के औचित्य सहित उसका यौरा संलग्न कर	
(13)	‘त्राधिकार के अंतर्गत वष के दौरान उपन लाइटिक अपशिष्ट के मात्रा (ठन में)	
(14)	‘त्राधिकार के अंतर्गत’ में से वष के दौरान एककित कए गए लाइटिक अपशिष्ट के मात्रा (ठन में)	
(15)	वष के दौरान पुनर्जन हेतु भेजे गए लाइटिक अपशिष्ट के मात्रा (ठन में)	
(16)	वष के दौरान उपयोग हेतु भेजे गए लाइटिक अपशिष्ट के मात्रा (ठन में)	
(17)	वष के दौरान भू-भराव थल को भेजे गए बेकार/अवीकृत लाइटिक अपशिष्ट के मात्रा (ठन में)	
(18)	लाइटिक अपशिष्ट के संस्करण और निपटान हेतु युक्त येक सुविधा का यौरा सुविधा-1 i) चालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) मता iv) युक्त ऐगिक v) पंजीकरण संख्या	

	vi) पंजीकरण क वैधता (तक)	
	सुविधा-2	
	i) चालक का नाम	
	ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता	
	iii) मता	
	iv) युक्त है और गिरिक	
	v) पंजीकरण संख्या	
	vi) पंजीकरण क वैधता (तक)	
(19)	यौरा द :	
	गली क सफाई, अपशि ट के वित्तीयक भंडारण, परवहन, संस्करण और निपटान	
	सहित एक एहतु तैनात क गई थानीय निकाय क निजी जनशक्ति ।	
(20)	यौरा द :	
	गली क सफाई, अपशि ट के वित्तीयक भंडारण, परवहन, संस्करण और निपटान	
	सहित एक एहतु तैनात क गई ठेकेदार/ हिय क जनशक्ति ।	
(21)	वित्तीय वा यता , सहित इन नियम के उपबंध के अनुपालन म शहरी थानीय	
	निकाय तारा अनुभव क जा रही क ठनाइय, यद कोई ह , का उलेख कर	
(22)	या शहर म ठोस अपशि ट बंधन परिय म सुधार करने के लिए काय योजना	
	तैयार क गई है?	
	यद हो तो (ति संल न कर)	
	संशोधन क तारीख :	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/

मुख्य अधिकारी के हतार

तारीख :

थानः

Ψ-VI

लाटिक अपशि ट बंधन नियम, 2016 के काया वयन क वष क रा यवार विति

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 17-2 / 2001-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

G.S.R. 320(E).—Whereas the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 published vide notification number S.O 249(E), dated 4th February, 2011 by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, as amended from time to time, provided a regulatory frame work for management of plastic waste generated in the country;

And whereas, to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system, the Central Government reviewed the existing rules;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the draft rules, namely, the Plastic Waste Management, Rules, 2015 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 423(E), dated the 25th May, 2015 in the Gazette of India, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th May, 2015;

And Whereas the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules shall be called the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(1) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—(1) These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.

(2) The rule 4 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

3. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) “**Act**” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) “**brand owner**” means a person or company who sells any commodity under a registered brand

- label.
- (c) **“carry bags”** mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.
- (d) **“commodity”** means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;
- (e) **“compostable plastics”** mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO₂, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
- (f) **“consent”** means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);
- (g) **“disintegration”** means the physical breakdown of a material into very small fragments;
- (h) **“extended producer’s responsibility”** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;
- (i) **“food-stuffs”** mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;
- (j) **“facility”** means the premises used for collection, Storage, recycling, processing and disposal of plastic waste;
- (k) **“importer”** means a person who imports or intends to import and holds an Importer -Exporter Code number, unless otherwise specifically exempted.
- (l) **“institutional waste generator”** means and includes occupier of the institutional buildings such as building occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organisation, academy, hotels, restaurants, malls and shopping complexes;
- (m) **“manufacturer”** means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer.
- (n) **“multilayered packaging”** means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
- (o) **“plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, Polybutylene terephthalate;
- (p) **“plastic sheet”** means Plastic sheet is the sheet made of plastic;
- (q) **“plastic waste”** means any plastic discarded after use or after their intended use is over;
- (r) **“prescribed authority”** means the authorities specified in rule 12;
- (s) **“producer”** means persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (t) **“recycling”** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;

- (u) "**registration**" means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be;
- (v) "**street vendor**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
- (w) "**local body**" means urban local body with different nomenclature such as municipal corporation, municipality, nagarpalika, nagarnigam, nagarpanchayat, municipal council including notified area committee (NAC) and not limited to or any other local body constituted under the relevant statutes such as gram panchayat, where the management of plastic waste is entrusted to such agency;
- (x) "**virgin plastic**" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (y) "**waste generator**" means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbour and Defense establishments which generate plastic waste;
- (z) "**waste management**" means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner;
- (aa) "**waste pickers**" mean individuals or agencies, groups of individuals voluntarily engaged or authorised for picking of recyclable plastic waste.

4. Conditions.- (1) The manufacture, importer stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-

- a) carry bags and plastic packaging shall either be in natural shade which is without any added pigments or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as "List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water", as amended from time to time;
- b) Carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff";
- c) carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than fifty microns in thickness;
- d) plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impair the functionality of the product;
- e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee;
- f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;
- g) recycling of plastic waste shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;
- h) The provision of thickness shall not be applicable to carry bags made up of compostable plastic. Carry bags made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling; and
- i) plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

5. Plastic waste management.- (1) The plastic waste management by the urban local bodies in their respective jurisdiction shall be as under:-

- (a) plastic waste, which can be recycled, shall be channelized to registered plastic waste recycler and recycling of plastic shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time.
- (b) local bodies shall encourage the use of plastic waste (preferably the plastic waste which cannot be further recycled) for road construction as per Indian Road Congress guidelines or energy recovery or waste to oil etc. The standards and pollution control norms specified by the prescribed authority for these technologies shall be complied with.
- (c) Thermo set plastic waste shall be processed and disposed off as per the guidelines issued from time to time by the Central Pollution Control Board.
- (d) The inert from recycling or processing facilities of plastic waste shall be disposed of in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.

6. Responsibility of local body.— (1) Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers.

(2) The local body shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:—

- (a) Ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;
- (b) ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
- (c) ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;
- (d) ensuring processing and disposal of non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
- (e) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities;
- (f) engaging civil societies or groups working with waste pickers; and
- (g) ensuring that open burning of plastic waste does not take place.

(3) The local body for setting up of system for plastic waste management shall seek assistance of producers and such system shall be set up within one year from the date of final publication of these rules in the Official Gazette of India.

(4) The local body to frame bye-laws incorporating the provisions of these rules.

7. Responsibility of Gram Panchayat.— (1) Every gram panchayat either on its own or by engaging an agency shall set up, operationalise and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely,—

- (a) ensuring segregation, collection, storage, transportation, plastic waste and channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers having valid registration; ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
- (b) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities; and
- (c) ensuring that open burning of plastic waste does not take place

8. Responsibility of waste generator.— (1) The waste generator shall.—

- (a) take steps to minimize generation of plastic waste and segregate plastic waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.
 - (b) not litter the plastic waste and ensure segregated storage of waste at source and handover segregated waste to urban local body or gram panchayat or agencies appointed by them or registered waste pickers', registered recyclers or waste collection agencies;
- (2) All institutional generators of plastic waste, shall segregate and store the waste generated by them in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time and handover

segregated wastes to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centers either on its own or through the authorized waste collection agency.

(3) All waste generators shall pay such user fee or charge as may be specified in the bye-laws of the local bodies for plastic waste management such as waste collection or operation of the facility thereof, etc.;

(4) Every person responsible for organising an event in open space, which involves service of food stuff in plastic or multilayered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide

S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time.

9. Responsibility of producers, Importers and Brand Owners.-(1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(3) manufacture and use of non- recyclable multilayered plastic if any should be phased out in Two years time.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

(6) Every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

10. Protocols for compostable plastic materials.-Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule-I to these rules.

11. Marking or labelling.-(1) Each plastic carry bag and multilayered packaging shall have the following information printed in English namely,-

- (a) name, registration number of the manufacturer and thickness in case of carry bag;
- (b) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging; and
- (c) name and certificate number [Rule 4(h)] in case of carry bags made from compostable plastic

(2) Each recycled carry bag shall bear a label or a mark “recycled” as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as “Guidelines for Recycling of Plastics”, as amended from time to time;



NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephthalate) etc.

Each carry bag made from compostable plastics shall bear a label “compostable” and shall conform to the Indian Standard : IS or ISO 17088:2008 titled as Specifications for “Compostable Plastics”.

12. Prescribed authority.— (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

(2) The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging.

(3) The concerned Gram Panchayat shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in the rural area of the State or a Union Territory.

(4) The authorities referred to in sub-rules (1) to (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provisions of these rules.

13. Registration of producer, recyclers and manufacturer.— (1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, as the case may be, prior to the commencement of production;

(2) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, in Form I

(3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form II.

(4) Every manufacturer engaged in manufacturer of plastic to be used as raw material by the producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, for the grant of registration or for the renewal of registration, in Form III.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not issue or renew registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) along with a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.

(6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not renew registration of producer unless the producer possesses and action plan endorsed by the Secretary in charge of Urban Development of the concerned State or Union Territory for setting of plastic waste management system.

(7) On receipt of the application complete in all respects for the registration for recycling or processing of plastic waste under sub-rule (3), the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle plastic waste safely, may grant registration to the applicant on fulfilment of the conditions as may be laid down in terms of registration.

(8) Every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application which is complete in all respects.

(9) The registration granted under this rule shall initially be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.

(10) State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees shall not revoke, suspend or cancel registration without providing the opportunity of a hearing to the producer or person engaged in recycling or processing of plastic wastes.

(11) Every application for renewal of registration shall be made at least one hundred twenty days before the expiry of the validity of the registration certificate.

14. Responsibility of retailers and street vendors- (1) Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multilayered packaging, which are not manufactured and labelled or marked, as per prescribed under these rules.

(2) Every retailers or street vendors selling or providing commodities in, plastic carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labelled or marked in accordance with these rules shall be liable to pay such fines as specified under the bye-laws of the local bodies.

15. Explicit pricing of carry bags.- (1) The shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing any commodity shall register with local body. The local body shall, within a period of six months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette of India notification of these rules, by notification or an order under their appropriate state statute or byelaws shall make provisions for such registration on payment of plastic waste management fee of minimum rupees forty eight thousand @ rupees four thousand per month. The concerned local body may prescribe higher plastic waste management fee, depending upon the sale capacity. The registered shop keepers shall display at prominent place that plastic carry bags are given on payment.

(2) Only the registered shopkeepers or street vendors shall be eligible to provide plastic carry bags for dispensing the commodities.

(3) The local body shall utilize the amount paid by the customers for the carry bags exclusively for the sustainability of the waste management system within their jurisdictions.

16. State Level Monitoring Committee.- (1) The State government or the union Territory shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Advisory Committee consisting of the following persons, namely:-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (a) | the Secretary, Department of Urban Development | - Chairman |
| (b) | Director from State Department of Environment | - Member |
| (c) | Member Secretary from State Pollution Control Board
or Pollution Control Committee | - Member |
| (d) | Municipal Commissioner | - Member |
| (e) | one expert from Local Body | - Member |
| (f) | one expert from Non-Governmental
involved in Waste Management | - Member |

(g)	Commissioner, Value Added Tax or his nominee,	- Member
(h)	Sales Tax Commissioner or Officer	- Member
(i)	representative of Plastic Association, Drug Manufacturers Association, Chemical Manufacturers Association	- Member
(j)	one expert from the field of Industry	- Member and
(k)	one expert from the field of academic institution	- Member
(l)	Director , Municipal Administration	- Convener

The State Level Advisory Body shall meet at least once in Six Month and may invite experts, if it considers necessary.

17. Annual reports.- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th April, of every year.

(2) Every local body shall prepare and submit an annual report in Form –V to the concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th June, every year.

(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report in Form VI to the CPCB on the implementation of these rules by the 31st July, of every year.

(4) The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31st August of every year.

SCHEDULE-I

[See rule 10]

1.	IS / ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2.	IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3.	IS / ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4.	IS /ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5.	IS / ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test)
6.	IS / ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7.	IS /ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8.	IS / ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9.	IS / ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test

FORM - I

[See rules 13 (2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners

From:

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....
Sir,

I /We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2015

1. Producers

PART – A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags; (a) petro- based, (b) Compostable (ii) Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
7.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C PERTAINING TO WASTE		
8.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
9.	Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	

10.	Attach or provide list of personnel or Brand Owners to whom the products will be supplied	
11.	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :		

II Brand Owners:

PART – A GENERAL		
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C PERTAINING TO WASTE		
7.	Solid Wastes or rejects: (c) Total quantum of waste generated (d) Mode of storage within the plant (d) Provision made for disposal of wastes	
8.	Attach or Provide list of person supplying plastic material	
9	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature Designation
Date :		
Place :		

FORM - II

[see rule 13 (3)]

**APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF UNITS ENGAGED IN PROCESSING OR
RECYCLING OF PLASTIC WASTE**

1.	Name and Address of the unit	
2.	Contact person with designation, Tel./Fax /email	

3.	Date of commencement				
4.	No. of workers (including contract labour)				
5.	Consents Validity	a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; Valid up to _____ b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; Valid up to _____ c. Authorization ; valid up to			
6.	Manufacturing Process	Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.			
7.	Products and installed capacity of production (MTA)	Products		Installed capacity	
8.	Waste Management:	S. No.	Type	Category	Qty.
	a. Waste generation in processing plastic-waste	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	b. Waste Collection and transportation (attach details)				
	c. Waste Disposal details	S. No.	Type	Category	Qty
(i)					
(ii)					
d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB or PCC					
e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)					
9.	Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material	(i) Name (ii) Quantity required /year			
10.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities			
11.	Pollution Control Measures				
	Whether the unit has adequate pollution control systems or equipment to meet the standards of emission or effluent.	If Yes, please furnish details			
	Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.	Yes/No			
	Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled or processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.	Yes/No			
	Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled or processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.	Yes/No			
12.	Any other relevant information including fire or accident mitigative measures				
13.	List of enclosures as per rule				

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

FORM - III*[See rules 13(4)]*

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR MANUFACTURERS OF PLASTIC RAW MATERIALS

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under the Plastic Waste Management Rules, 2011

PART – A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC or DCSSI of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
(c)	List of producers and quantum of raw materials supplied to producers	
Date : Place :		Name and Signature Designation

Form - IV

[See rules 17 (1)]

FORMAT OF ANNUAL REPORT BY OPERATOR OF PLASTIC WASTE PROCESSING OR RECYCLING FACILITY TO THE LOCAL BODY

Period of Reporting:

(1)	Name and Address of operator of the facility	
(2)	Name of officer in-charge of the facility (Telephone/Fax/Mobile/ E-mail)	
(3)	Capacity:	
(4)	Technologies used for management of plastic waste:	
(5)	Quantity of plastic waste received during the year being reported upon along with the source	
(6)	Quantity of plastic waste processed (in tons): - Plastic waste recycled(in tons) - Plastic waste processed (in tons) - Used (in tons)	
(7)	Quantity of inert or rejects sent for final disposal to landfill sites:	
(8)	Details of land fill facility to which inert or rejects were sent	

	for final disposal: - Address -Telephone	
(9)	Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of Consent or registration	

Signature of Operator

Dated :

Place:

Form - V*[See rules 17(2)]***FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE LOCAL BODY****Period of Reporting:**

(1)	Name of the City or Town and State:	
(2)	Population	
(3)	Area in sq. kilometers	
(4)	Name & Address of Local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
(5)	Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction	
(6)	Total Numbers of Households in the area under jurisdiction	
(7)	Number of households covered by door to door collection	
(8)	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction -Commercial establishments - Institutions	
(9)	Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection -Commercial establishments - Institutions	
(10)	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection	
(11)	Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
(12)	Attach details of infrastructure required, if any along with justification	
(13)	Quantity of Plastic Waste generated during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(14)	Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(15)	Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)	
(16)	Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)	
(17)	Quantity of inert or rejects sent to landfill sites during the year (in tons)	
(18)	Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste Facility-I i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to)	

Name of the SPCB or PCC	Estimated Plastic Waste generation in Tons Per Annum (TPA)	No. of registered Plastic Manufacturing or Recycling (including multilayer, compostable) units. (Rule 9)			No. of Unregistered plastic manufacturing units. (in residential or unapproved areas)	Details of Plastic Waste Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing road construction etc.) (Rules 6) (Attach separate)	Partial or complete ban on usages of Plastic Carry Bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or executive order)	Status of Marking/ Labelling on carry bags (Rule 8) [Specify the number of units or not complied]	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule 11)	No. of violations and action taken on non-compliance of provisions of these Rules	Number of Municipal Authority or Gram Panchayat under jurisdiction and Submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic units								

	Facility-II i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number Validity of Registration (up to)	
(19)	Give details of: Local body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(20)	Give details of: Contractor or concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(21)	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules including the financial constraints, if any	
(22)	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy) Date of revision:	

Signature of CEO or Municipal Commissioner or

Executive Officer or Chief Officer

Date:

Place:

Form-VI**STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 FOR THE YEAR ... ANNUAL REPORT Format**

					(sheet)						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.